उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–2
संख्या– 115 /XXIV–2/2008
देहरादूनः दिनांक 30 जनवरी, 2008

अधिसूचना संख्या– 114/XXIV–2/2008 दिनांक 30 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008' की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

4– प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–(ख) में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियां शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

UYAGI-368

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग– 2
संख्या– 114– /XXIV-2/2008
देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2008

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते राज्यपाल, 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008

भाग– एक–सामान्य

संक्षित नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'सामान्य शाखा' से राजकीय सह शिक्षा वाले विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला और पुरुष, दोनों अभ्यर्थियों से भरी जाए;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) 'महिला शाखा' से राजकीय बालिका विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला अभ्यर्थियों से भरी जाए; तथा
(ठ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में प्रवक्ता पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) प्रवक्ता– (सामान्य शाखा)

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) 50 प्रतिशत अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (सामान्य शाखा) में मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो नियम 8 के अधीन पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों, में से, पदोन्नति द्वारा,

(ख) प्रवक्ता (महिला शाखा)–

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) 50 प्रतिशत अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (महिला शाखा) में मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षिकाओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और नियम 8 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों, में से, पदोन्नति द्वारा,

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश– केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो

परन्तु, यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हैं तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट ''क'' में प्रत्येक पद के सम्मुख विर्निदिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(दो) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
(तीन) एन0एस0एस0 का 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थिंगों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार, या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण

या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु, यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड ।।, भाग ।।। के अध्याय ।।। में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पाँच–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी तद्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते

हुए उतने अभ्यर्थियों को जितने वे पर्याप्त समझें और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों तो नियमित नियुक्तिगाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और

पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक-पृथक मामलों में परिवीक्षा की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है,

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने-

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;
(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;
(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी श्रेणी के पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी श्रेणी के पदों पर किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश की तारीख से किया जायेगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हों,

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती तारीख विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसके मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य प्रकरणों में उसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया हो।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का

पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे :–

पद का नाम	वेतनमान (रू0 में)
प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा	6500–200–10,500

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह स्थायी सरकारी सेवा में न हो, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा अवधि में ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे उन विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(हरीश्चन्द्र जोशी)
सचिव

परिशिष्ट 'क'

(नियम 8 देखिए)

अर्हताएं

क्र. सं.	पद का नाम	अनिवार्य अर्हता
1	प्रवक्ता, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
2	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
3	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। या 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एड0)।

4	प्रवक्ता जीव विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
5	प्रवक्ता, हिन्दी	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 3. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
6	प्रवक्ता, उर्दू	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
7	प्रवक्ता, संस्कृत	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0/शिक्षाशास्त्री)।

8	प्रवक्ता, तर्कशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
9	प्रवक्ता, शारीरिक प्रशिक्षण	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से द्विवर्षीय एम0पी0ई0/एम0पी0एड0।
10	प्रवक्ता, गृह विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
11	प्रवक्ता संगीत (गायन) (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (गायन) विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
12	प्रवक्ता, संगीत (वाद्य) (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वाद्य) विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

13	प्रवक्ता, कला (सामान्य शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
14	प्रवक्ता, वाणिज्य	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
15	प्रवक्ता, कृषि शास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
16	प्रवक्ता, सिलाई (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से सिलाई में दो वर्ष का डिप्लोमा।
17	प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि।

		2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
18	प्रवक्ता, भूगर्भशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
19	प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। अथवा 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (एम0सी0ए0) की उपाधि।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र जोशी)
सचिव